पत्रांक –3/एम०–42/2019सा०प्र० 10378/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 04.07. 2024

विषय–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित चालकों/कार्यालय परिचारी के मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका–4.(3)(I) में ऐसे संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। अतः यह कार्रवाई सामान्यतया प्रशासी विभाग द्वारा ही की जानी है।

3. परन्तु संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालक सभी विभागों में पदस्थापित हैं। अतः प्रत्येक विभाग में संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालक के मानदेय निर्धारण/पुनरीक्षण में एकरूपता बनाये रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई करने का परामर्श/अभिमत वित्त विभाग द्वारा दिया गया है।

2/

4. उक्त परामर्श के आलोक में दिनांक–25.06.2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों/कार्यालयों में संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालकों का मानदेय निम्नवत् पुनर्निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है–

(क) चालक का मानदेय– रु॰ 25000/– प्रतिमाह;
(ख) मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी– रु॰ 22000/– प्रतिमाह; एवं
(ग) नॉन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी– रु॰ 20000/– प्रतिमाह।

उपर्युक्त निर्धारित मानदेय नवम्बर, 2023 से ही प्रभावी होगी।

5. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–4 में वर्णित निर्णय के आलोक में अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालकों के मानदेय को तद्नुसार पुनरीक्षित करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

2.7.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–42/2019सा0प्र0 10378 / दिनांक 04.07.24

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रभारी स्थापना शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.2024

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–42/2019सा0प्र0 10378 / दिनांक 04.07.24

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.2024

सरकार के प्रधान सचिव